(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 25th February, 2026

NOTIFICATION

No.10-9/2024-U.3(A): Whereas, Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Velan Nagar, Periyapalayam Road, Manjankaranai Village, Uthukkottai, Thiruvallur District, Tamil Nadu as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No.40-8/2025 (CPP-I/DU) dated 13.08.2025, informed that the application was examined through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu with certain conditions.

3. **And further whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 09.09.2025 to Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Velan Nagar, Periyapalayam Road, Manjankaranai Village, Uthukkottai, Thiruvallur District, Tamil Nadu.

4. **And whereas**, the Registrar, Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu, vide letter No. VISTAS/R/MoE/085/2025 dated 15.09.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. In response, UGC, vide letter dated 27.01.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and recommended for final approval in the matter.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu to start an off-campus Centre at Velan Nagar, Periyapalayam Road, Manjankaranai Village, Uthukkottai, Thiruvallur District, Tamil Nadu subject to the condition that admissions under professional courses shall be made only after obtaining approval from the respective Regulatory Councils/Bodies.

पृ.त.उ.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu.

पूर्णेन्दु बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice Chancellor, Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu.
3. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu.
4. The Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Tamil Nadu.
5. The Secretary, National Medical Commission, Pocket – 14, Sector – 8, Dwarka Phase – 1, New Delhi – 110077.
6. The Secretary, Indian Nursing Council, Combined Council Building, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi.
7. The Secretary, Pharmacy Council of India (PCI), Post Box No.7020, Combined Councils' Building, Kotla Road, Aiwa-E-Ghalib Marg, New Delhi-110002.
8. The Joint Secretary (ME), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. PS to Hon'ble EM.
13. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 25 फरवरी, 2026

अधिसूचना

सं.10-9/2024- यू.3(ए): जबकि, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार वेलन नगर, पेरियापालयम रोड, मंजनकरनई गांव, उथुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 13.08.2025 के अपने पत्र संख्या 40-8/2025 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि उसकी स्थायी समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की गई थी। समिति ने संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु को कुछ शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु को वेलन नगर, पेरियापालयम रोड, मंजनकरनई गांव, उथुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 09.09.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. **और जबकि**, रजिस्ट्रार, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु, दिनांक 15.09.2025 के पत्र संख्या वीआईएसटीएएस /आर / एमओई / 085 / 2025 के माध्यम से एलओआई की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया गया था। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 27.01.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस मामले में अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

5. **अत: अब**, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, एतद्द्वारा वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु को वेलन नगर, पेरियापालयम रोड, मंजनकरनई गांव, उथुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिला तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है, जोकि इस शर्त के अध्यधीन होगा कि

पृ.क्रि.व

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों/निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किए जाएंगे।

6. वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का अनुपालन करेगा।

पू कि बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड़, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रति अग्रेषित</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु।
3. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार।
4. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार।
5. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेस-1, नई दिल्ली-110077
6. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली।
7. सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), पोस्ट बॉक्स नंबर 7020, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, आइवा-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली-110002
8. संयुक्त सचिव (एमई), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
9. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे सीएमआईएस इकाई को इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने का निर्देश दें।
12. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
13. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 1578